

भारत में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति : एक दृष्टिकोण

¹निकहत जबी; ²डॉ. पी. एन. यादव

¹शोध छात्रा, विश्वविद्यालय आईआरपीएम विभाग, ति.मा. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

²भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय आईआरपीएम विभाग ति.मा. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

ABSTRACT

शिक्षा समग्र समाज की प्रगति और विकास के लिए बुनियादी और मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा में लैंगिक असमानताएं अत्यधिक लैंगिक पक्षपाती सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की असमान स्थिति को दर्शाती हैं। यह न केवल विकसित समाजों के लिए बल्कि भारत जैसे विकासशील समाजों के लिए भी एक वास्तविकता है, जहां महिलाओं को शैक्षिक कार्यक्रमों और सुधारों की एक श्रृंखला के बावजूद आज भी पिछड़ी अवस्था में हैं, अर्थात् दुनिया की लगभग आधी आबादी पिछड़ी अवस्था में हैं। उसमें भी हमारे आधुनिक समाज में मुस्लिम महिलाएं सबसे पिछड़ी अवस्था में हैं। शिक्षा मुस्लिम महिलाओं को उनके आर्थिक एवं सामाजिक संकट से बाहर निकालने का सर्वोत्तम उपाय है। क्योंकि सभी धार्मिक समुदायों में, महिला समाज का सबसे कम शिक्षित वर्ग है और उनमें भी मुस्लिम महिलाएं सबसे कम शिक्षित हैं। भारत में गैर-मुस्लिम महिलाओं की तुलना में मुस्लिम महिलाओं का पिछड़ापन वर्तमान में चिंता का विषय बन गया है। यद्यपि इस्लाम एक धर्म के रूप में महिलाओं की शिक्षा की प्राप्ति पर अपना पूरा जोर देता है, फिर भी उनके पिछड़ेपन के कई सामाजिक कारण हैं जैसे परिवार का बड़ा आकार, गरीबी, लड़कियों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक रवैया, मंदरसा शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बीच संबंध की कमी आदि। प्रस्तुत आलेख का उद्देश्य भारत में मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति, उनकी निरक्षरता के कारणों एवं संभव समाधान का अध्ययन करना है।

Keywords: मुस्लिम महिलाएं, अल्पसंख्यक समुदाय, राष्ट्रीय पिछड़ा अल्पसंख्यक, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सामाजिक न्याय

परिचय

भारत बहु-जातीय, बहु-सांस्कृतिक, बहु-भाषाई और विभिन्न धार्मिक आस्थाओं वाला देश है। जहां तक भारत के अल्पसंख्यकों का संबंध है, मुस्लिम आबादी हमारे देश में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल जनसंख्या 1210193422 है, जो देश की कुल आबादी का 14.23 प्रतिशत है। देश की आबादी में, लगभग 12.16 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ हैं। (भारत की जनगणना, 2011) जीवन के किसी भी क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं के उस आंकड़े की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन इस अल्पसंख्यक समुदाय का अधिकांश हिस्सा शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। भारत में मुस्लिम समुदाय को छोड़कर लगभग सभी अन्य अल्पसंख्यक शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान सबसे अधिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है, इसीलिए भारत सरकार ने उन्हें 1993 में 'राष्ट्रीय पिछड़ा अल्पसंख्यक' मान लिया गया। फिर भी हमारे देश के मुसलमानों की नियति स्वतंत्रता के पिछले गौरवशाली 75 वर्षों में नहीं बदली है। 2006 में, सचवर समिति ने यह भी सिफारिश की कि मुसलमान देश में सबसे अधिक वंचित हैं।

किसी भी राष्ट्र या राज्य की सर्वांगीण प्रगति या विकास उस देश में रहनेवाली महिलाओं पर विचार किए बिना संभव नहीं है क्योंकि वे देश की लगभग आधी आबादी हैं। मुस्लिम समाज में महिलाएं आज भी सामाजिक वातावरण में बहुत अधिक जकड़ी रहती हैं। व्यवहार और गतिविधियों के स्वरूप के संबंध में कई सामाजिक और पारिवारिक अनुष्ठान प्रतिबंधों के कारण वे ज्यादातर घरों तक ही सीमित रहती हैं।

Article Publication

Published Online: 15-Mar-2021

*Author's Correspondence

निकहत जबी

शोध छात्रा, विश्वविद्यालय आईआरपीएम विभाग, ति.मा. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

© 2021The Authors. Published by *Research Review Journals*

This is an open access article under the CC



BY-NC-ND license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

मुस्लिम महिलाएं आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के उत्पीड़न से पीड़ित हैं, न केवल मुस्लिम बल्कि सभी धार्मिक समुदाय की महिलाओं को भी सामाजिक रूढ़िवाद की समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे समाज में कमजोर वर्ग माना जा है, क्योंकि भारतीय समाज पुरातन काल से ही पितृसत्तात्मक समाज है। अंतर केवल इतना है कि भारत के अन्य धर्मों के बीच यह अप्रत्याशित स्थिति तेजी से बदल रही है, लेकिन जहां तक मुस्लिम महिलाओं का संबंध है, स्थिति इतनी सकारात्मक नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के लिए मुस्लिम समाज ने सख्त अलगाव या पर्दा प्रथा की व्यवस्था का नियम बना रखा है और वे कई सामाजिक अक्षमताओं से पीड़ित हैं। मुस्लिम महिलाएं कम उम्र में बाल विवाह की समस्या की शिकार हैं। वे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से अभी भी अन्य धार्मिक समुदाय की महिलाओं से काफी पीछे की स्थिति में बने हुए हैं, जबकि आज समाज के सभी समुदायों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। लेकिन मुस्लिम महिलाएं अनपढ़ और अपने ही घर में कैद हैं और ज्यादातर पर्दा के अंदर एकांत के सख्त नियमों का पालन करने को विवश है।

इस्लाम विचारधारा में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति

इस्लाम महिलाओं को उन्हें स्वीकार करने के साथ समान अधिकार देता है और उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व को तथ्यात्मक रूप से पहचानता है। भले ही इस्लाम पुरुषों और महिलाओं की समानता पर जोर देता है, फिर भी व्यवहार में कई क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता बहुत व्यापक स्तर पर है। इस्लाम और सामाजिक-आर्थिक आधारों के बारे में विभिन्न ऐतिहासिक, गलत धारणाओं के कारण उनकी स्थिति भी आदर्श मानदंडों से बहुत अधिक अलग है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और विशेषाधिकार पर पवित्र कुरान और हदीस द्वारा जोर दिया गया है। "पवित्र कुरान बार-बार पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करने की आवश्यकता व्यक्त करता है। इस्लाम के इतिहास में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया जाता है। अब यह तर्क दिया जाता है कि इस्लाम धर्म में महिलाओं के स्थान को रूढ़िवादी और कट्टरपंथी ताकतों ने दबा दिया है। मुस्लिम समाज में देखी गई महिलाओं की निष्क्रियता, एकांत और सीमांत स्थिति का इस्लामी विचारधारा से बहुत कम लेना-देना है, लेकिन इसके विपरीत पितृसत्तात्मक वैचारिक धारा है जिसे इस्लाम से अलग माना जा सकता है और आधिकारिक और प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा सत्ता के शोषण का प्रभाव मुस्लिम समाज में व्याप्त है।" इस्लाम विचारधारा और महिलाओं के बारे में वर्तमान प्रथाओं के बीच अब तक अंतर व्याप्त है। मुसलमान देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं, इसलिए वे इस्लामी विचारधारा के साथ-साथ स्थानीय परंपरा दोनों से प्रभावित हैं। हमारी सामाजिक तस्वीर में कई दाग हैं जैसे मुस्लिम महिलाएं कुपोषण, अंधविश्वास, अशिक्षा और मुल्ला (कट्टरपंथी) के अज्ञानी शासन के तहत जी रही हैं। कट्टरपंथी मौला ने मुस्लिम महिलाओं में आधुनिक तकनीक और चिकित्सा विज्ञान के बारे में गलत धारणा बनाई है, जिससे सभी बीमारियों को केवल मुल्ला से ठीक किया जा सकता है और उनमें इंसान के बीच हर तरह की समस्या को समझने और जवाब देने की शक्ति है। इसी तरह वे मानते हैं कि हमारी पवित्र पुस्तक में वर्णित है कि हर वैज्ञानिक एवं आर्थिक सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मुल्ला सझम हैं। कट्टरवाद (मुल्ला राज) ने घोषणा की थी कि मुस्लिम क्षेत्र में महिला नेतृत्व या सशक्तिकरण निषिद्ध है। हालांकि, मुस्लिम महिलाओं में बढ़ती साक्षरता दर यह दर्शाती है कि मुल्लाओं की मान्यताएं धीरे-धीरे मिटती जा रही हैं और यह मुस्लिम समुदाय आधुनिक सोचों के अनुरूप अपने आपको बदल रही है। वास्तव में इस्लाम धर्म ने एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के उन्नयन के लिए जो कुछ भी आवश्यक था, उसकी सुरक्षा के लिए आगे आए। मुस्लिम समाज में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण, संरक्षण और प्रचार को इस्लामी कानून और पवित्र कुरान द्वारा उजागर किया गया है।

भारत में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक शैक्षिक उपलब्धि और रोजगार के अवसर हैं। भारत के मुसलमान इन दोनों समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भारत के मुसलमान मात्रात्मक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में पिछड़ रहे हैं। भारत के मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा दयनीय आर्थिक स्थिति में जीवन जीने को मजबूर है। भारत में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर एक अध्ययन ने उजागर किया कि मुस्लिम सामाजिक-आर्थिक विकास के सभी संकेतकों जैसे जनसंख्या, लिंग अनुपात, साक्षरता, शिक्षा, कार्य भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आदि में काफी पीछे हैं। भारत में मुस्लिम महिलाएं शायद परिवार और समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक पैटर्न के कारण शिक्षा में पिछड़ रही हैं। लड़कियों की शिक्षा के प्रति निराशावादी रवैया और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाओं की पहुंच की कमी दो ऐसे कारक हैं जो उनके विकास में बाधक हैं। उनके पास दूर के स्कूल तक पर्याप्त पहुंच नहीं है। रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के लिए और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग पर्याप्त संख्या में तकनीकी स्कूल स्थापित करने की आवश्यकता है। मुस्लिम महिलाएं सख्त एकांत या पर्दा प्रथा का पालन करती हैं। मुस्लिम समाज की महिलाएं अनपढ़ और घर में कैद एकांतवास को मजबूर हैं। वे ज्यादातर पारदा प्रथाओं के कारण अलगाव में रह रहे हैं। मुस्लिम समाज में तलाक और बहुविवाह का एकतरफा रूप पाया जाता है और लड़कियों की शादी मुख्य रूप से यौवन के बाद बहुत कम उम्र में कर दी जाती है।

सच्चर समिति की रिपोर्ट (2006) के अनुसार, 31 प्रतिशत मुस्लिम लोग एससी/एसटी के बाद गरीबी के स्तर से नीचे हैं, जो 35 प्रतिशत के हेड काउंट अनुपात (एचसीआर) के साथ सबसे गरीब हैं। मुसलमानों में साक्षरता दर 2001 में राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है और साक्षरता में गिरावट की दर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की तुलना में बहुत अधिक थी। 6-14 आयु वर्ग के 25 प्रतिशत मुसलमान बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं जाते या फिर किसी समय स्कूल छोड़ देते हैं। मुसलमानों के रोजगार को अनुपात में देखते हुए वे हाशिए पर हैं। अन्य बहिष्कृत समूहों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व काफी कम है। निजी क्षेत्रों में पेशेवर और प्रबंधन संवर्गों में मुस्लिम भागीदारी भी कम है। सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों (जैसे पुलिस) में उनकी भागीदारी उनकी आबादी से काफी कम है। सिविल सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग, रेलवे, शिक्षा विभाग आदि में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी उतना ही भयावह है।

वाहीद (2006) के अनुसार देश में समानता और सामाजिक न्याय तथा सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक विकास की संवैधानिक गारंटी के बावजूद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भारतीय मुसलमान या तो बेरोजगार हैं या शारीरिक रूप से कम वेतन वाले व्यवसायों पर निर्वाह कर रहे हैं। काम की तीनों श्रेणियों में मुस्लिम महिलाओं और हिंदू महिलाओं या ईसाई महिलाओं के लिए कार्य भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) के बीच भारी अंतर के साथ मुस्लिम महिलाओं की कार्य भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) सबसे कम है। स्वरोजगार में मुस्लिम महिलाएं 60 प्रतिशत संलग्न हैं और शहरी क्षेत्रों में नियमित श्रमिकों के रूप में रोजगार की दर मुस्लिम महिलाओं के लिए 15.7 प्रतिशत है, जबकि हिंदू महिलाओं के लिए यह दर 27.7 प्रतिशत है, जबकि ईसाई महिलाओं के लिए यह 51.5 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कर्मोवेश यही स्थिति मौजूद है। हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के लिए समान रोजगार की स्थिति में क्रमशः 3.6 प्रतिशत और 3 प्रतिशत शामिल हैं। ये आँकड़े वेतनभोगी नौकरियों में मुस्लिम महिलाओं की सीमांत उपस्थिति को रेखांकित करते हैं। औपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के रूप में मुस्लिम महिलाओं की सीमांत उपस्थिति उनकी उच्च स्व-रोजगार दरों और वेतनभोगी नौकरी में निम्नलिखित कम भागीदारी के माध्यम से इंगित की जाती है जो अनौपचारिक कर्मचारियों के रूप में उनकी अदृश्यता का संकेत देती है। मुस्लिम महिलाओं के रोजगार के क्षेत्र में मौजूदा शोध और विश्लेषण की कमी के कारण उनकी कमजोर रोजगार स्थिति के पीछे विशिष्ट जड़ों को इंगित करना बहुत मुश्किल है, जबकि उनकी शैक्षिक स्थिति शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निम्न स्थिति को दर्शाती है।

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य सामाजिक-राजनीतिक के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्र में उनकी बेहतर स्थिति से है। मुस्लिम समाज में महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि वे चल रहे पारंपरिक सामाजिक ढांचे और अपने समुदाय की सामाजिक संस्था से पीड़ित हैं। मुस्लिम महिलाओं के बड़े हिस्से की शिक्षा में पिछड़ापन उनके रोजगार में पिछड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है, जहां सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक पदानुक्रम में उनकी स्थिति को बढ़ाने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण भी अनिवार्य है। इसलिए शिक्षा में पिछड़ेपन, गरीबी, आर्थिक निर्भरता और अपने अधिकारों की अनदेखी ने मुस्लिम महिलाओं को शोषण के प्रति और अधिक संवेदनशील बना दिया है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में अन्य समुदाय की तुलना में मुस्लिम महिलाओं की कार्य भागीदारी दर बहुत खराब है। भारत में हिंदुओं, ईसाई और बौद्धों की कार्य भागीदारी दर क्रमशः 19.2, 29.2 और 25.8 है, जबकि मुस्लिम महिलाओं की कार्य भागीदारी दर केवल 14 प्रतिशत है। भारत के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं खेतिहर मजदूर के रूप में कार्यरत हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में मुस्लिम महिलाएं प्रगति के लगभग हर क्षेत्र में मुख्यधारा से पिछड़ रही हैं। सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, रोजगार, स्वास्थ्य की स्थिति, राजनीतिक जागरूकता और राजनीतिक भागीदारी के परिप्रेक्ष्य में, मुस्लिम महिलाएं समाज के सबसे हाशिए पर, एकांत और वंचित वर्ग हैं। भारत की मुस्लिम महिलाएं शिक्षा, ज्ञान, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में गरीबी और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। यह एक दृश्यमान तथ्य है कि भारत की मुस्लिम महिलाओं के बीच शैक्षिक समस्याओं की जटिल घटना के कारण महिलाओं के संदर्भ में मुस्लिमों की शैक्षिक स्थिति बहुत कम, अपर्याप्त और नगण्य है, जहां ऐतिहासिक, स्थितिजन्य, शैक्षिक और सामाजिक-सांस्कृतिक चर हैं जो समकालीन समय में स्थिति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जबकि आधुनिकीकरण आज की मुख्य विशेषता है। देश के किसी भी हिस्से में किसी भी धार्मिक पुरुष या महिला का पिछड़ापन एक राष्ट्रीय आपदा है और इसे पूरे राष्ट्र के लिए एक बाधा के रूप में माना जाना चाहिए। भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को दूर करने के लिए समुदाय के भीतर विकास, अधिक प्रेरणा, आत्मनिर्भरता और आत्म सुधार के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। मुस्लिम महिलाओं के समग्र विकास की तत्काल आवश्यकता है। मुस्लिम समाज के समग्र विकास और परिवर्तन के लिए उनकी निम्न स्तर की आकांक्षा, हताशा, सांस्कृतिक मंदता, सामाजिक अवसाद से बाहर आने की आवश्यकता है।

संदर्भ:

- अजीम, एस. (1997). मुस्लिम महिला: उभरती पहचान, रावत प्रकाशन, जयपुर, भारत.
- खान, जे. और बुटूल, एफ. (2013). भारत में मुस्लिमों की शिक्षा और विकास: एक तुलनात्मक अध्ययन, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के आईओएसआर जर्नल, 13(2), 80–86.
- काजी, एस. (1991). भारत में मुस्लिम महिलाएं, ए रिपोर्ट (लंदन, यूके: माइनोंरिटी राइट्स ग्रुप इंटरनेशनल), 1–38
- मंडल, एस. आर. (1994). मुस्लिम समाज की गतिशीलता, इंटर-इंडिया पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
- मंडल, एस. आर. (2005). ग्रामीण मुस्लिम महिलाएं: भूमिका और स्थिति, उत्तरी ब्लॉक केंद्र, नई दिल्ली:
- बिस्वास, जेडएच (2017). मुस्लिम ऑन मार्जिन: ए स्टडी ऑफ मुस्लिम्स ओबीसी इन वेस्ट बंगाल, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका, 6 (6), 6–11.
- होक, जेड (2016). पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मुस्लिम शिक्षा: समस्याएं और समाधान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 2(4), 268–272.
- हसन, जेड और मेनन, आर. (2004). अनइक्वल सिटीजन: मुस्लिम वामेन इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस: नई दिल्ली।
- हुसैन, एम. (2013). मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्थिति: एक तुलनात्मक दृष्टिकोण, जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, 4(10), 92–95।
- हुसैन, एम. (2013). मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्थिति: एक तुलनात्मक दृष्टिकोण, जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, 4 (10), 92–93.
- हुसैन, आई. और मोइनुद्दीन, एस. (2013). पश्चिम बंगाल की मुस्लिम महिला अल्पसंख्यक: उनकी भूमिका और स्थिति पर कुछ अवलोकन, मैन इन इंडिया, 94(1–2), 213–223।
- भारत की जनगणना (2001 एवं 2011). भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय, नई दिल्ली
- सच्चर समिति की रिपोर्ट (2006). भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्थिति, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.